न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 82/2025

करण सिंह बडवा पुत्र सत्यनारायण सिंह निवासी 78 वार्ड नं. 13 एल.बी.एस कॉलोनी चाकसू जिला जयपुर राज0 ---अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ---प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **04.11.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आनॅलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 01.08.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

1 प्रार्थना पत्र मय शिकायत पत्र जो कि कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक में दर्ज है जिसका कार्यालय जिला कलेक्टर टोंक में दर्ज कमांक 3572 दिनांक 25.07.2025 है उक्त प्रकरण में माननीय जिला कलेक्टर टोंक के द्वारा की गई अंतिम कार्यवाही/ कार्यालय आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि।

2 उक्त प्रार्थना पत्र मय शिकायत पत्र की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1774 दिनांक 09.09.2025 व 1830 दिनांक 18.09.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 905 दिनांक 1.10.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध प्रभारी अधिकारी सर्तकता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक से होने से उनके पत्र कमांक 885 दिनांक 29.09.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 886 दिनांक 29.09. 2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक प्रभारी अधिकारी सर्तकता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 1935 दिनांक 03.10. 2025, 2001 दिनांक 15.10.2025 व 2067 दिनांक 29.10.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सर्तकता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सर्तकता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी

738

जिला कलेक्टर
टोंक

को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सर्तकता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)